



राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर, (भीलवाड़ा)
जिला - भीलवाड़ा
राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण-पत्र



क्रमांक: RJ/2017/राजस्व विभाग/अन्य पिछड़ा वर्ग /24633245641
दिनांक: 18-10-2024
आवेदक / परिवार के मुखिया का जनआधार कार्ड संख्या 4712146828

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

- 01 श्री श्रवण कुमार जाट पुत्र/पुत्री श्री जगदीश चंद्र जाट, माता का नाम - श्रीमती नोसी देवी जाट, राजस्थान राज्य के जिला भीलवाड़ा पता- कोट, रायपुर, भीलवाड़ा के/की निवासी हैं तथा ये और या इनका कुटुम्ब यहाँ स्थाई रूप से निवास करता है/करती है/करते हैं।
- 02 उक्त श्री श्रवण कुमार जाट राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.प.11(164) आर. एण्ड पी./एस.जे.ई.डी./09/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से 28 JAT (28 जाट) वर्ग/जाति के/की सदस्य हैं।
- 03 उक्त श्री श्रवण कुमार जाट आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के क्रिमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं.प.7(8)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लिखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का/की नहीं हैं।

नोट :

- 1 : राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.एफ.21(37) एस.जे.ई./कम्प्यू.ई.डी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जारी प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
- 2 : उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा जनसुलभ के रूप में ई-दस्तावेज़ के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेज़ की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकता है।
- 3 : प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आदेश पर एई सम्बंधित दस्तावेज़ जिले के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
- 4 : यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। जहाँ सभी कार्यों के लिये मान्य है।
- 5 : प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। संपर्क संख्या : 249651856935

*राज्य के पिछड़े वर्ग के लिए राजस्थान सरकार के आर्थिक मामलों में निम्नलिखित नियमों तथा राज्य की शैक्षिक संस्थानों में बर्तों में आरक्षण के प्रावधानों।

उपखण्ड अधिकारी, रायपुर, भीलवाड़ा

Signature valid

Digitally signed by
RAJESH KUMAR
Date: 2024.10.19 12:28:32
+07:00
Reason: Approved

Location: Rajasthan
00871076

